



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082025-265735
CG-DL-E-27082025-265735

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 581]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 26, 2025/ भाद्र 4, 1947

No. 581]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 26, 2025/ BHADRA 4, 1947

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2025

फा.सं. N-17011/1/उत्तर प्रदेश/2025—यो एवं वि: कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा 46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 अगस्त, 2025 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिसमें उक्त विनियम 95-क में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ उत्तर प्रदेश राज्य के बांदा जिले के सभी क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवार पर प्रवृत्त होंगे।

दीपक जोशी, बीमा आयुक्त (यो एवं वि)

[विज्ञापन-III/4/असा./314/2025-26]

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th August, 2025

F. No. N-17011/1/UP/2025-P&D: In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st August, 2025 as the date from, which the medical benefit as laid down in the said Regulation 95-A shall be extended to the families of insured persons in all the areas of Banda district of Uttar Pradesh.

DEEPAK JOSHI, Insurance Commissioner (P&D)

[ADVT.-III/4/Exty./314/2025-26]